—: आदेश :—

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) के पत्र संख्याः 884/8सी., दिनाँकः 08–05–2024 के द्वारा जनपद–नैनीताल में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत नगदल गाँव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण एवम् नामान्तरण किए जाने का अनुरोध किया गया। इस कार्यालय के पत्र संख्याः 484/12–ज्येड.ए.सी./2023–2024, दिनाँकः 05–06–2024 से उप जिलाधिकारी, श्री कैंची धाम (नैनीताल) को अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) के पत्र संख्याः 884/8सी., दिनाँकः 08–05–2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए पत्र में चयनित भूमि का प्रस्ताव मय खसरा, नक्शा इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उप जिलाधिकारी, श्री कैंची धाम (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्याः 299/न.न./2024–2025, दिनाँकः 28–06–2024 से तहसील, बेतालघाट (नैनीताल) अन्तर्गत ग्राम–काण्डा के नॉन ज्येड.ए. श्रेणी–9(3)(ङ) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि खतौनी संख्याः 35 के खसरा नम्बरः 2307, रक़बा 45.773 हे. भूमि के मध्ये रक़बा 2.660 हे. भूमि (200X133 मीटर) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का प्रस्ताव इस कार्यालय को उक्त भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण किए जाने हेतु प्रेषित किया गया है, किन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित का उपरोक्त भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल), वन विभाग एवम् राजस्व विभाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं करवायी गई जिस कारण इस कार्यालय के पत्र संख्याः 484(1)/12–ज्येड.ए.सी./2023–2024, दिनाँकः 09–07–2024 से उप जिलाधिकारी, श्री कैंची धाम (नैनीताल) को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित का उक्तानुसार भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल), वन विभाग एवम् राजस्व विभाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उप जिलाधिकारी, श्री कैंची धाम (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्याः 72/न.न./2024–2025, दिनाँकः 20–11–2024 से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए चयनित भूमि का राजस्व विभाग, अस्थाई खण्ड, भवाली (नैनीताल), वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार उक्त भूमि का हरियाली घनत्व 0.3 है जिस पर कूरी व काला बांज की झाड़ियाँ उगी हैं। उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है जिस पर 1100 पेड़ प्रति हे. वृक्षारोपण किया जा सकता है। उप जिलाधिकारी, श्री कैंची धाम (नैनीताल) के द्वारा उपरोक्त वन भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण किए जाने बावत् आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत नदगल गाँव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश सहित आख्या उपलब्ध करान हेतु निर्देशित किया गया। तद्क्रम में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्याः 111/8 सी., दिनाँकः 27–01–2025 से इस कार्यालय को मा. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत नदगल गाँव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति का अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्याः 1440/111(2)/11–05(प्रा.आ.)/2010, दिनाँकः 28–03–2021 सहित आख्या उपलब्ध करवाते हुए उक्त मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने की अपेक्षा की गई है।

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 111/XXVII/II/2012-18(120), दिनाँकः 09–07–2012, शासनादेश संख्याः 2173/XXVII(7)50(39)-2015, दिनाँकः 17–12–2012 एवम् राजस्व विभाग के शासनादेश संख्याः 1887/XVIII(II)/2015, दिनाँकः 30–07–2015 तथा उप जिलाधिकारी, श्री कैंची धाम (नैनीताल) एवम् अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) की उपरोक्त आख्यानुसार गैर जमींदारी विनाश प्रवृत्ति (नॉन ज्येड.ए.) की श्रेणी–9(3)(ङ) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि तहसील, बेतालघाट (नैनीताल) के ग्राम–काण्डा के नॉन ज्येड.ए. श्रेणी–9(3)(ङ) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि खतौनी संख्याः 35 के खसरा नम्बरः 2307, रक़बा 45.773 हे. भूमि मध्ये रक़बा 2.660 हे. भूमि (200X133 मीटर) को वन विभाग, नैनीताल के पक्ष में निःशुल्क आवंटित किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :—

क्रमश............2/

1. भूमि पर कोई धार्मिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि आवंटित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाए तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जाएगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जाएगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
8. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि अथवा भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जाएगी।
9. प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवम् भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवम् अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्याः 1132/2011 (एस॰एल॰पी॰)/(सी॰) संख्या 3109/2011, श्री जगपाल सिंह एवम् अन्य बनाम् पंजाब राज्यादि में मा॰ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो के बिन्दु संख्याः 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जाएगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

दिनाँकः 05–02–2025

ह०/
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्र संख्याः 6 /12–ज्येड.ए.सी./2024–2025, दिनाँकः 10 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त एवम् सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)।

प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, श्री कैंची धाम/तहसीलदार, श्री कैंची धाम (नैनीताल) को भू–अभिलेखों में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

10/2/25

(फिंचा राम चौहान),
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व),
नैनीताल।

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष 2025 फसली 1435

ग्राम काण्डा पट्टी मल्लीसेठी तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

श्रेणी - 9(3)(ए) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	अन्य बंजर		1 5 11 18ज 20 47 49	1.202 0.018 0.028 0.004 0.009 0.056 0.024	—	कार्यालय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 1/12 जे0एस0 ए0सी0/2024-2025 दिनांक 10 फरवरी 2025 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) के पत्र संख्या 884/8सी0 दिनांक 08-05-2024 के द्वारा जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत नवाल गांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का वन विभाग के नाम नैनीताल के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया। इस कार्यालय के पत्र संख्या 484/12 जे0एस0 ए0 सी0/2023-2024 दिनांक 05-06-2024 से उप जिलाधिकारी श्री कैंची धाम (नैनीताल) को अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) के पत्र संख्या 884/8 सी0 दिनांक 08-05-2024 छायाप्रति संलग्न करते हुए पत्र में चयनित भूमि का प्रस्ताव मय खसरा नक्शा इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।						

Scanned with OKEN Scanner

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ....काण्ड.................. पट्टी ....मल्लीसेठी.................. तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल है०	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			270 272 274	0.035 0.004 0.020		उपजिलाधिकारी श्री कैंची धाम (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्या 2991/न०न०/2024-25 दिनांक 28-06-24 से तहसील बेतालघाट (नैनीताल) अन्तर्गत ग्राम-काण्ड के नाम जे०ए० 120 श्रेणी 9(3)(ङ) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि खतौनी संख्या: 36 के खसरा नं० 2307 रकबा 45.773 हेक्टेयर भूमि के मध्य रकबा 2.66 है० भूमि (200X133 मीटर) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का प्रस्ताव इस कार्यालय को उक्त भूमि को वन विभाग नैनीताल के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण किए जाने हेतु प्रेषित किया गया है। किन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की उपरोक्त भूमि का अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल), वन प्रभाग						

एवम राजस्व विभाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं करवायी गई जिस कारण इस कार्यालय

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ......काण्डा...... पट्टी ......मल्लीसेठी...... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			533 538 540 543	0.005 0.035 0.050 0.014	—	के पत्र संख्या 484(1)/12 उप०ज०सी०/2023-24, दिनांक 09-07-2024 से उपजिलाधिकारी श्री कैंची धाम (नैनीताल) को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित का उक्तानुसार भूमि को अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उपजिलाधिकारी श्री कैंची धाम (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्या: 72/[illegible]/2024-2025 दिनांक 20-11-2024 से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए चयनित भूमि का राजस्व विभाग, अस्थाई खण्ड भवाली (नैनीताल) वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।						

Scanned with OKEN Scanner

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ....ककोड़.............................. पट्टी ....मल्लीसेटी..................... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे०	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1122 1124 1126 1128	0.005 0.006 0.016 0.040	—	उपर्युक्त गिरदावर आख्यानुसार उक्त भूमि का ढालदार क्षेत्रफल 0.3 है जिस पर कुरी व काला बांस की झाड़ियाँ पाई जाती है। अतः भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है जिस पर 1100 पेड़ प्रति हे. वृक्षारोपण किया जा सकता है, उपजिलाधिकारी श्री कैंचीधाम (नैनीताल) के द्वारा उपरोक्त वन भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण किए जाने बावत आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत ककोड़गांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश सहित आख्या उपलब्ध कराने हेतु निवेदित किया गया।						

Scanned with OKEN Scanner

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ....काण्डा.......... पट्टी ....मल्लीसेटी.......... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे०	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2307	53.613	—	तदक्रम में अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) द्वारा अपने पत्र संख्या 111/8 सी० दिनांक 27-01-2025 से स्थल कार्यालय को मा० प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत वन्नाल गाँव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति व अनुसार, लोक निर्माण विभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 1440/III(2)/11-05(प्रा०अ०)/2010/दिनांक 28-03-2011 सहित आख्या उपलब्ध कराते हुए उक्त मार्ग निर्माण में आने हस्तान्तरण हेतु यथानियम कार्यवाही कर लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने की अपेक्षा की गई है।						
			12	0.060								
			18	0.146								
			25	0.007								
			30	0.074								

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 111/XXVII/11/2012-18(120), दिनांक: 09-07-2012, शासनादेश संख्या 2173/XXVII(7)50(39)2015 दिनांक 17-12-2012 एवं राजस्व विभाग के शासनादेश

Scanned with OKEN Scanner

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ......काण्डा...... पट्टी ......मल्ली .... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रभावित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			82 96 98 99 2802	0.121 0.038 0.009 0.095 0.013	—	संख्या: ~~1887/XXVII(7)50(29)-2015~~, 1887/XVII(1)/2015 दिनांक 30-07-2015 तथा उप जिलाधिकारी [illegible] नैनीताल स्वयं अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली (नैनीताल) की अपेक्षित आख्यानुसार गैर जमींदारी विनाश प्रकृति (नॉन ज़ेड.ए.) की श्रेणी-9(3)(ड.) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि तहसील बेतालघाट (नैनीताल) के ग्राम-काण्डा के नॉन ज़ेड.ए. श्रेणी-9(3)(ड.) कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि खतौनी संख्या: 35 के खसरा नम्बर: 2307 रकबा 45.773 है. भूमि मध्ये रकबा 2.660 है. भूमि (200X133 मीटर) को वन विभाग, नैनीताल के पक्ष में निःशुल्क आवंटित किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है						

क्रमशः-2

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम [illegible] पट्टी [illegible] तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			58	0.025	—	1- भूमि पर कोई धार्मिक महत्व की इमारत न हो। 2- जिस परियोजना के लिए भूमि आवंटित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो। 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाए तो उसके लिए वन विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह वन विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी। 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को वन विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।						
			64	0.070								
			68	0.019								
			69	0.016								
			70	0.008								

Scanned with OKEN Scanner

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ....[illegible]............ पट्टी ....मल्लीसेठी.......... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे०	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रभावित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			97	0.035	—							
			98	0.068								
			99	0.063								
			3180	0.040								

6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो वन विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7- प्रश्नगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया जाता है अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि अथवा भवन सीत सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी,

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष .... फसली ....

ग्राम ......काण्डा...... पट्टी ......मल्ली...... तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल

खाता संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो						अन्य विवरण
						फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			173/3147	0.054	—							
			484/3148	0.019								
			1434/3149	0.015								
			2583/3150	0.403								
			|	|								
कुल			1026	342.633								

9. प्रश्नगत भूमि आवंटन के एवं उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उपजिलाधिकारी तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 1132/2011 (एस.एल.पी.) (सी०) संख्या 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्यादि में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्या 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निःशुल्क आदि राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

ह० अ०

महोदय, नकल असल से तैयार (किया)

उत्तराखण्ड राजस्व पुलिस क्षेत्र ... तह० नैनीताल

21.03.25 (... ह० रा०नि० मल्ली...)